

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० संख्या-2/एल-08/2026- /स्वा० पटना, दिनांक / /2026

डा० गुलिस्तों बानो, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई०एन०टी०), अनुमण्डलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.11.2025 से 29.04.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-08/2026- 21/03/26 पटना, दिनांक 10/9/2026
प्रतिनिधि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त, (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० गुलिस्तों बानो, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई०एन०टी०), अनुमण्डलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wmank 71926
सरकार के उप सचिव

६